कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षा स्था.2-3/2017/ 11754 भोपाल, दिनांक 22/5/17

प्रति,

प्राचार्य प्रथम श्रेणी/उप-प्राचार्य हायर सेकण्डरी/प्राचार्य हाई स्कूल/व्याख्याता/
शिक्षाकर्मी वर्ग-1/ वरिष्ठ अध्यापक/प्रधान पाठक माध्यमिक शाला/
संविदा शिक्षक वर्ग-1/शिक्षक (उ.श्रे.शि.) /
शिक्षाकर्मी वर्ग-2/संविदा शिक्षक वर्ग-2 एवं अध्यापक
आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश

विषयः ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होकर विभागीय विशिष्ट विद्यालयों में सेवाएं देने हेतु विशेष अवसर।

विभाग अंतर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को उत्तम वातावरण में शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से आदिवासी विकास विभाग द्वारा संभाग स्तर पर 4 गुरूकुलम आवासीय विद्यालय, 29 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, 80 कन्या शिक्षा आवासीय परिसर, 9 उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय, 8 आदर्श आवासीय उ.मा.विद्यालय एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा 10 ज्ञानोदय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है । इन विद्यालयो की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने हेतु विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में कार्यरत विभागीय प्राचार्यों/शिक्षकों में से सबसे अधिक योग्य शिक्षकों का निष्पक्ष मापदण्डों के आधार पर चयन कर, उन्हें इन संस्थाओं में पदस्थ किया जाये ।

उपरोक्त हेतु दिनांक 15 से 20 जून 2017 के मध्य एक ऑनलाइन परीक्षा MPOnline के सहयोग से आयोजित की जा रही है। सभी विभागीय प्राचार्य प्रथम श्रेणी/ उप-प्राचार्य हायर सेकण्डरी/ प्राचार्य हाई स्कूल/ व्याख्याता/ शिक्षाकर्मी वर्ग-1/ वरिष्ठ अध्यापक/ प्रधान पाठक माध्यमिक शाला/ संविदा शिक्षक वर्ग-1/ शिक्षक (उ.श्रे.शि.) / शिक्षाकर्मी वर्ग-2/ संविदा शिक्षक वर्ग-2 एवं अध्यापकों से अपेक्षा है कि आप इस परीक्षा में सम्मिलित होकर प्रदेश के आदिवासी युवाओं को उत्कृष्ट परिवेश में शिक्षा प्रदान करने का सुअवसर प्राप्त करेंगे । यह परीक्षा नहीं अपितु प्रयास है कि योग्य शिक्षकों को ही विशिष्ट विद्यालयों में कार्य करने का मौका मिले ताकि वे अपनी शिक्षण क्षमता का सम्यक उपयोग कर सकें ।

ऐसे शिक्षक जिनकी आयु 31 मई 2017 को 60 वर्ष या उससे अधिक होगी तथा संविदा शाला वर्ग 3, सहायक शिक्षक, शिक्षा कर्मी वर्ग 3, सहायक अध्यापक, संविदा शिक्षक वर्ग 3 को इस परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो शिक्षक वर्त्तमान में इन 140 शालाओं में अध्यापन कार्य कर रहे हैं, उनका भी इस परीक्षा में सम्मिलित होना अपेक्षित है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह परीक्षा केवल इन उत्कृष्ट शालाओं में अध्यापन कार्य हेतु योग्य शिक्षकों के चयन के लिए आयोजित की जा रही है - इसके परिणाम से शिक्षकों की सेवा शर्तों एवं पदोन्नति इत्यादि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए आप अपने घर के कंप्यूटर से अथवा किसी भी इन्टरनेट किओस्क पर जाकर URL - www.mponline.gov.in पर अपना आवेदन ऑनलाइन भर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन भरने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।

परीक्षा केन्द्र समस्त जिला मुख्यालय पर (आगर मालवा जिले को छोड़कर) निर्धारित किये गए हैं । ऑनलाइन आवेदन भरते समय आपको परीक्षा केन्द्र हेतु तीन विकल्प चयनित करना है। विशेष परिस्थितियों में

चयनित परीक्षा केन्द्र में स्थान उपलब्ध न होने की स्थिति में नजदीकी संभागीय मुख्यालय पर आपको परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को अपने वर्तमान कार्यस्थल से परीक्षा केंद्र तक का यात्रा भत्ता नियमानुसार अपने वर्त्तमान पदस्थगी स्थल से देय होगा।

आवेदन में आपको सभी उत्कृष्ट संस्थाओं का प्राथमिकता क्रम भी निर्धारित करना होगा जिसमे आप पदस्थ होना चाहते हैं। साथ ही उस पद का भी चयन करना होगा जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं (आपकी वर्त्तमान श्रेणी के आधार पर ही चयन किया जाए) ।चयनित संस्था में पदस्थापना परीक्षा में आपके प्राप्तांकों पर आधारित होगी।

जो आवेदक प्राचार्य पद के लिए विकल्प भरते हैं और वह प्रावीण्य सूची के आधार पर shortlist होते हैं, उन्हें साक्षात्कार के लिए भी बुलाया जा सकेगा ।

परीक्षा आपके द्वारा चयनित विषय (केवल एक) में होगी जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (4 वैकल्पिक उत्तर , मात्र एक विकल्प सही उत्तर है) होंगे। पूरी परीक्षा ऑनलाइन होगी। परीक्षा देने के लिए कम्प्यूटर ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी (कंप्यूटर विषय की परीक्षा छोड़कर)। परीक्षा अवधि 2 घण्टे की होगी।

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देशा संलग्न हैं। कृपया अंतिम तिथि 5 जून 2017 से पूर्व अपना आवेदन ऑनलाइन भरना सुनिश्चित करें।

Dipali Rastogi

(दीपाली रस्तोगी)
आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./शिक्षा स्था.**2-3/2017/** 11755

भोपाल, दिनांक 22/5/17

प्रतिलिपिः-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय।
4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
6. समस्त कलेक्टर।
7. समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
8. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश, की ओर पालनार्थ।

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश